आयोजनागत
संख्या–460/XXIV(8)/2006–22/2006

प्रेषक,

के.के. पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढवाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादून: दिनांक 8 मई,2006

विषय:– राजकीय ग्रामीण पालीटेक्निक ताकुला (अल्मोड़ा) के भवनों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक –380/नि.प्रा.शि./ प्लान–छ–1/2006–07 दिनांक 17.5.2006 एवं शासनादेश संख्या–223/XXIV(8)/2006-22/2006 दिनांक 29.3.2006 क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा राजकीय ग्रामीण पालीटेक्निक ताकुला (अल्मोड़ा) के भवनों के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम अल्मोड़ा द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रू0 374.55 लाख (रूपये तीन करोड़ चौहत्तर लाख पचपन हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तत्क्रम में राज्यपाल महोदय इस वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस कार्य हेतु रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नामे है, स्वीकृत नामे से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– उक्त कार्य की लागत किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं की जायेगी तथा शेष शर्ते पूर्व में जारी उक्त शासनादेश के अनुसार रहेंगी।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

11– इस संबंध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 02– तकनीकी शिक्षा– 104– बहुशिल्प – आयोजनागत–03–राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/ महिला) भवन का निर्माण / सुदृढ़ीकरण – 24– वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या–177/वित्त अनुभाग–3/2006 दिनांक 23.5.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(के.के. पन्त)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून।
2. निजी सचिव मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल शासन।
3. कोषाधिकारी, पौड़ी।
4. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
5. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, अल्मोड़ा।
6. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
7. आयुक्त कुमायू मण्डल, नैनीताल।
8. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
9. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।